चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 25.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 25.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 25.12.2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशानुसार जनपद के समस्त थानों/शाखाओं में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री अटल बिहारी बाजपेई की 100वीं जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिव आसरे के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र उपाध्याय व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 10.09.2024 को थाना मारकुण्डी अन्तर्गत ग्राम निवासी वादी द्वारा थाना पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को धर्मेन्द्र प्रजापति पुत्र रामदेव प्रजापति बहला फुसलाकर ले गया । इस सम्बन्ध में थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 52/2024 धारा 137(2),351(2) व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट बीएनएस पंजीकृत किया गया । आज दिनाँक 25.12.2024 को अभियुक्त धर्मेन्द्र प्रजापति उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । पीडिया के बयान अन्तर्गत 183 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट,3(2)5(A) एससीएसटी एक्ट की बढ़ोतरी गयी गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री सुभाषचन्द उपाध्याय

2.आरक्षी अतुल सिंह परिहार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री शनि चतुर्वेदी,उ0नि0 श्री कैलाश यादव व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त संतोष पुत्र रामबाबू निवासी लक्ष्मणपुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 किलो 250 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1 किलो 250 ग्राम सूखा गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री शनि चतुर्वेदी
2. उ0नि0 श्री कैलाश यादव
3. आरक्षी विपिन

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 325/024 धारा 363/376(2) व 5/6 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामकेश कोरी पुत्र स्व0 शिवकुमार निवासी बैलहा पुरवा मोतिहारी थाना नरैनी जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।